

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

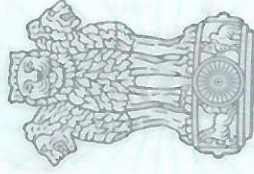
THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA




भूपेन्द्र कुमार
Bhupendra Kumar
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
Regional Passport Officer
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
Regional Passport Office
कोलकाता-700016

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

निर्देश / OBSERVATION

निर्देश सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian
MANOJ SAHA

माता का नाम / Name of Mother
SHIPRA SAHA

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

4 SAMBHU NATH DAS LANE

SINTHI, KOLKATA

PIN: 700050, WEST BENGAL, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

फाइल नं. / File No.

CA2060843850118



R9059051

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र में अपना पंजीकरण करावाँ।

बैलागचनी
यह पासपोर्ड भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ड के बारे में किसी पासपोर्ड अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सुझाव मिलती है जिसमें पासपोर्ड तैयार करने की योग्य भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यहाँ पासपोर्ट डक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

निकटतम गुप्तता मान, धारा १४३३ और अथवा नट १०३ जाने पर उनकी सूचना भारत में सबसे निकटतम प्रायः अधिकारी को अथवा यदि प्रायः अधिकारी द्वारा विशेष में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तकाल दी जानी चाहिए। विस्तृत पुंजाव के बाद भी ड्यूटीवेट प्रायः जारी किया जाएगा।

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING A DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.